

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, (मुख्य क्षेत्र)
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ

पत्रांक- || सी०जेड०/४सी०जेड०(पी०पी०)/२०१६,

दिनांक-०३-०१-१७

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

अधीक्षण अभियन्ता, उन्नाव वृत्त, लो०नि०वि०, उन्नाव द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर पलिया-लखनऊ (राज्य मार्ग सं०-२५) पर भारत पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा आउटलेट स्थापित किये जाने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किया जाता है :-

1. पलिया-लखनऊ राज्य मार्ग सं०-२५ कि०मी० १७७ की चैनज ७४० मी० में मार्ग मध्य रेखा से २२.८६ मी० दूरी के बाद बाँयी ओर पक्का निर्माण कराया जाय।
2. पेट्रोल/डीजल पम्प का लेवल कम से कम १५ सेमी० नीचा तथा सर्विस एरिया का ढाल कम से कम ०२ प्रतिशत ढाल ड्रेन की ओर रखा जाय, ताकि पानी का बहाव मार्ग पर किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए।
3. पेट्रोल/डीजल पम्प एवं विभागीय भूमि के बीच पक्की ड्रेन बनाई जाय तथा उसे लोहे की ग्रेडिंग से ढका जाय, ताकि वाहनों के आवागमन में असुविधा न हो और आउटलेट का पानी माली के द्वारा मुख्य ड्रेन में जा सके।
4. सड़क से पेट्रोल/डीजल पम्प तक पहुँचने हेतु एप्रोच रोड पर कम से कम ०१ मी० व्यास की एनपी-३ ह्यूम पाईप/आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण कम्पनी/मालिक द्वारा अपने व्यय से कराया जाय।
5. ड्रेनेज हेतु पेट्रोल/डीजल पम्प/सर्विस एरिया का ढाल कम से कम ०२ प्रतिशत ड्रेन की ओर रखा जाए।
6. पेट्रोल/डीजल पम्प पर लगाये जाने वाले साइनेज बफर स्ट्रिप क्षेत्र में जमीन से कम से कम ०३ मीटर ऊपर रखा जाय। पम्प के साइनेज के अतिरिक्त कोई स्ट्रक्चर अथवा होल्डिंग लो०नि०वि० की जमीन पर न खड़ा किया जाय।
7. लोक निर्माण विभाग की स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साइन बोर्ड लगाना अनुमत्य नहीं होगा।
8. बफर स्ट्रिप कम से कम १२ मीटर लम्बी व ०३ मीटर चौड़ी तथा प्रवेश एवं निकासी गेट कम से कम ०९ मीटर चौड़े होंगे।
9. बफर स्ट्रिप के बाहरी सिरे से फ्यूल फिलिंग पम्प की दूरी ०७ मीटर से कम नहीं होगी।
10. निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय में कोई विवाद विचाराधीन है, तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जाय।
11. भूमि का सत्यापन राजस्व विभाग से होना चाहिए। इस सम्बन्ध में लो०नि०वि० का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
12. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के समस्त निर्देशों का पालन एवं अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, हरदोई द्वारा ब्लू प्रिन्ट पर उल्लिखित अनुबन्धों का भी पालन करना अनिवार्य होगा।
13. आई०आर०सी०-१२-१९८३ में दी गई शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
14. जब भी मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी, तो भूमि चौड़ीकरण हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर वांछित निर्माण हटाना होगा।
15. भारत सरकार सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के परिपत्र सं०-आर०डब्ल्यू०/एन०एच०-३३०२३/१९/९९-डी०ओ०-III, दि० २४.०७.१३ द्वारा जारी निर्देशानुसार आवश्यक धनराशि एच०डी०एफ०सी० बैंक, साखा-हरदोई का डी०डी० सं०-००४२५९, दि० ०८.०८.२०१६ रू० २,३०,०००.०० एवं डी०डी० सं०-००४२८१, दि० २१.०८.२०१६ रू० १०,०००.०० कुल रू० २,४०,०००.०० जो अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, हरदोई के नाम से जमा है।

उपरोक्त अनुमति अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, हरदोई का पत्र सं०-३२५७/एम-२/१६-१७, दि० १९.११.१६ तथा अधीक्षण अभियन्ता, उन्नाव वृत्त, लो०नि०वि०, उन्नाव का पत्र संख्या-४००४सी०/२६सी०-उन्नाव वृत्त/२०१६, दि० २०-१२-२०१६ द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(कमल प्रसाद)
मुख्य अभियन्ता, (मुख्य क्षेत्र)
लो०नि०वि०, लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, हरदोई।
संलग्नक-ड्राइंग एक प्रति में।
2. अधीक्षण अभियन्ता, उन्नाव वृत्त, लो०नि०वि०, उन्नाव के पत्र सं०-४००४सी०/२६सी०-उन्नाव वृत्त/२०१६ दि० २०-१२-२०१६ द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सूचनाार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, हरदोई के पत्र सं०-३२५७/एम-२/१६-१७, दि० १९.११.२०१६ द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सूचनाार्थ प्रेषित।

(कमल प्रसाद)
मुख्य अभियन्ता, (मुख्य क्षेत्र)
लो०नि०वि०, लखनऊ

